उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.com

ई–निविदा सूचना

ई–निविदा **Reference No. -** UERC/01/Admin/2026-27

सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा ई–निविदा निम्नानुसार आंमत्रित की जाती है:–

ई–निविदा का विवरण	ईएमडी धनराशि	ई–निविदा प्रारम्भ तिथि	ई–निविदा अंतिम तिथि
आयोग के कैम्प कार्यालय हेतु 03 चौकीदार आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से 01 वर्ष के लिये रखे जाने हेतु ई–निविदा।	रू0 5000.00	09.07.2026	31.07.2026

उपरोक्त से संबंधित विस्तृत नियम एवं शर्ते आयोग की वेबसाईट www.uerc.uk.gov.in एवं www.uktenders.gov.in पर उपलब्ध है।

सचिव

आयोग के कैम्प कार्यालय हेतु
03 चौकीदार आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से
01 वर्ष के लिये रखे जाने हेतु ई–निविदा

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग,
विद्युत नियामक भवन, नियर आई0एस0बी0टी0,
पो0 माजरा, देहरादून (उत्तराखण्ड)–248171

दूरभाष नं0 0135–2641115
ई–मेलः secy.uerc@gov.in

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
'विद्युत नियामक भवन'
निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून
PH. 0135-2641115 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.com

ई–निविदा हेतु निर्धारित शर्ते एवं प्रपत्र

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग में वर्ष 2026–27 के लिये कैम्प कार्यालय की चौकीदारी हेतु पंजीकृत एजेन्सी/फर्मो से निम्नानुसार ई–निविदायें आमंत्रित की जाती हैः–

क्र0स0	विवरण	वार्षिक लागत/ई–निविदा कार्यक्रम
1	ई–निविदा का नाम	आयोग के कैम्प कार्यालय हेतु 03 चौकीदार आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से 01 वर्ष के लिये रखे जाने हेतु ई–निविदा
2	ई–निविदा Reference No.	UERC/01/Admin/2026-27
3	ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने की प्रारम्भ तिथि व समय	09.07.2026
4	ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारम्भ तिथि व समय	09.07.2026
5	ई–निविदा सम्बन्धी स्पष्टीकरण की प्रारम्भ तिथि	09.07.2026
6	ई–निविदा सम्बन्धी स्पष्टीकरण की अन्तिम तिथि	17.07.2026
7	ई–प्रोक्योरमेंट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डाटासीट इत्यादि अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय	31.07.2026 प्रातः 11.00 बजे तक
8	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	31.07.2026 अपरान्ह 03.00 बजे
9	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि व समय	तकनीकी निविदा में सफल होने पर
10	धरोहर धनराशि (एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर अथवा बैंक गारंटी के रूप में)	रू0 5000.00
11	ई–निविदा की वैद्यता	90 दिन
12	सूचना हेतु नाम एवं पता	सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, नियर आई0एस0बी0टी0, पो0 माजरा, देहरादून (उत्तराखण्ड)–248171
13	ई–निविदा से सम्बन्धित जानकारी के लिये नाम व पता	दीपक कुमार, उप निदेशक (प्रशासन), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत नियामक भवन, नियर आई0एस0बी0टी0, पो0 माजरा, देहरादून (उत्तराखण्ड)–248171 ई–मेल dda.uerc@gov.com मोबाईल नं0–9760695221

निविदा हेतु शर्ते एवं अनुदेश

1. ई–निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र uktenders.gov.in से अथवा आयोग की वेबसाईट www.uerc.uk.gov.in से डाउनलोड किये जा सकते है।
2. ई–निविदा केवल uktenders.gov.in पर निर्धारित प्रपत्र पर ही मान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र के अलावा प्रेषित ई–निविदा मान्य नहीं होगी एवं निरस्त/अस्वीकृत समझी जायेगी।
3. ई–निविदा के साथ धरोहर धनराषि के रूप में रू0 5,000/– (रू0 पॉच हजार मात्र) जमा किया जाना अनिवार्य है। बिना धरोहर धनराशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। धरोहर धनराशि एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर के रूप में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के पक्ष में बनायी जानी होगी, जिसकी स्केन कॉपी uktenders.gov.in में अपलोड करनी होगी तथा उसकी मूल प्रति आयोग कार्यालय में तकनीकी निविदा खोलने से पहले जमा की जानी होगी। एम0एस0एम0ई0 फर्मो के लिए ईएमडी में छूट राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप होगी।
4. जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उसको इंगित कार्यकाल हेतु कुल निविदा धनराशि के 10 प्रतिशत के बराबर की धनराशि प्रतिभूति राशि शड्यूल बैंक की एफडीआर/सीडीआर/टीडीआर अथवा बैंक गारंटी के रूप में जमा करायी जायेगी।
5. निविदा के साथ पंजीकृत एजेन्सी/फर्म के द्वारा निम्न प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगाः–
   (i) फर्म रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति।
   (ii) पी0एस0आर0ए0 (उत्तराखण्ड राज्य) लाईसेन्स की छायाप्रति।
   (iii) विगत दो वर्षो में किये गये कार्यो का प्रमाण पत्र।
   (iv) आयकर PAN की छायाप्रति।
   (v) कार्यालय के पते हेतु प्रमाण पत्र।
6. असफल ई–निविदादाताओं की धरोहर धनराशि 15 दिनों में वापस कर दी जायेगी।
7. निविदादाता यह निश्चित करेंगे कि उनके द्वारा कार्य हेतु तैनात कर्मियों को देय वेतन उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृत न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होगा।
8. किसी भी निविदा एवं समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
9. भुगतान की दशा में नियमानुसार देय आयकर तथा अन्य कर की कटौती की जायेगी।
10. जिस पंजीकृत एजेन्सी/फर्म की ई–निविदा स्वीकृत होगी, उनके द्वारा कार्य आदेश के उपरान्त कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। ऐसा न करने की स्थिति में, जमानती धनराशि जब्त करते हुये, सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड भी घोषित किया जा सकता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित पंजीकृत एजेन्सी/फर्म का होगा।
11. एजेन्सी के कर्मियों द्वारा आयोग परिसर में धुम्रपान अथवा मादक द्रव्यों का सेवन करना वर्जित होगा।
12. एजेन्सी/फर्म द्वारा जो भी कर्मी आयोग के कैम्प कार्यालय में चौकीदारी हेतु तैनात किया जायेगा, वह मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ हों तथा 18 वर्ष से कम आयु के न हों। अनुभवी कर्मी को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा एवं कर्मी को आठ घण्टे ड्यूटी करना अनिवार्य होगा।

13. फर्म द्वारा तैनात कर्मी को अनुबन्ध अवधि में 12 दिवस का आकस्मिक अवकाश और 15 दिन का अर्जित अवकाश सवेतन दिया जायेगा।
14. फर्म का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन उत्तराखण्ड राज्य में होना अनिवार्य है।
15. निर्धारित कार्य अवधि में कर्मी की कार्यस्थल पर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होगी।
16. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा। भुगतान मासिक आधार पर माह पूर्ण होने पर फर्म द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा।
17. फर्म का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले कार्मिकों का भुगतान माह समाप्त होने के सात दिन के अन्दर करना सुनिश्चित करेगा। भुगतान के सम्बन्ध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
18. फर्म/श्रमिकों के बीच में यदि कोई विवाद/दुर्घटना होती है, तो उसका उत्तरदायित्व आयोग का नहीं होगा। उसका निस्तारण फर्म द्वारा किया जायेगा।
19. निविदत्त wages में उल्लेखित दरें पूर्ण माह (30 दिवस/31 दिवस) मय रिलिविंग चार्जेज सहित सम्मिलित होगी।
20. कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने पर आयोग का यह अधिकार होगा कि वह एक माह पूर्व सूचना पर करार को निरस्त कर दें, इसमें किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
21. फर्म द्वारा जो भी कर्मी आयोग के कैम्प कार्यालय में चौकीदारी हेतु तैनात किया जायेगा उनका पुलिस सत्यापन करने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म का होगा। फर्म द्वारा पुलिस सत्यापन की एक प्रति आयोग के रिकार्डस हेतु उपलब्ध करेगें। पुलिस सत्यापन सर्टिफिकेट छः माह से अधिक पुराना मान्य नहीं होगा।
22. किसी भी विवाद की दशा में सचिव, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
23. फर्म द्वारा आयोग के कैम्प कार्यालय में तैनात किये गये कर्मी के द्वारा यदि आयोग में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्रता की जाती है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वीकृत फर्म का होगा। ऐसे व्यक्ति को फर्म द्वारा त्वरित रूप से बदलना होगा।
24. एजेन्सी/फर्म द्वारा आयोग के कैम्प कार्यालय में 03 चौकीदार नियुक्त किये जायेंगे। यदि आयोग उचित समझे तो भविष्य में कार्य के अनुरूप अधिक कर्मी भी फर्म से लिये जा सकते है।
25. फर्म एवं आयोग के मध्य हुये अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आयोग एवं फर्म की सहमति से उक्त अनुबन्ध की अवधि को आगे बढाया जा सकता है।
26. एजेन्सी/फर्म को चौकीदारी कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को सबलेट नहीं करेगा।
27. निविदादाता द्वारा श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम देय मजदूरी से कम का भुगतान कर्मी को नहीं किया जायेगा। न्यूनतम देय से कम मजदुरी देने पर सम्बन्धित फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा एवं उसकी प्रतिभूति धनराशि को आयोग द्वारा जब्त कर दिया जायेगा। साथ ही कानूनों के उल्लघंन की उचित कार्यवाही की जायेगी।
28. निविदा स्वीकृत होने पर स्वीकृत पंजीकृत एजेन्सी/फर्म को आयोग के साथ 100.00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र भरना अनिवार्य होगा।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग
देहरादून

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0–माजरा, देहरादून

PH. 0135-2641115 Website www.uerc.uk.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.com

ई–निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र

1. फर्म का नाम :
2. पता :
3. फर्म का देहरादून कार्यालय का पता :
4. फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या (छायाप्रति संलग्न) :
5. जीएसटी पंजीकरण संख्या (छायाप्रति संलग्न) :
6. पैन पंजीकरण संख्या (छायाप्रति संलग्न) :
7. ई0पी0एफ0 रजिस्ट्रेशन संख्या (छायाप्रति संलग्न) :
8. ई0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन संख्या (छायाप्रति संलग्न) :
9. पी0एस0आर0ए0 (उत्तराखण्ड राज्य) लाईसेन्स संख्या (छायाप्रति संलग्न) :
10. पिछले 02 वर्ष का कार्य आपूर्ति आदेश (छायाप्रति संलग्न) :
11. एम0एस0एम0ई0 फर्म (यदि हॉ तो छायाप्रति संलग्न) : हॉ/नहीं
12. धरोहर धनराशि (ईएमडी) (एफडीआर/सीडीआर/बैंक गारंटी के रूप में) राशि रूपये...............................दिनांक................. वैद्यता अवधि.......................तक

मैंने दस्तावेज में उल्लिखित सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सभी शर्तो से सहमत हूँ।

दिनांक.......................

प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर ....
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम...
फर्म का नाम...
दूरभाष सं0 (कार्यालय)...
मोबाईल नं0..
फर्म की मुहर...

BOQ Sample (To be uploaded on UK tenders Portal)

Validate | Print | Help

Item Wise BoQ

15

Tender Inviting Authority: Secretary, Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, Dehradun

Name of Work: Supply of 03 Chowkidar (Unskilled) for Camp Office of UERC

Contract No: 9760695221

Name of the Bidder/ Bidding Firm / Company :	

PRICE SCHEDULE

(DOMESTIC TENDERS - RATES ARE TO GIVEN IN RUPEES (INR) ONLY)

(This BOQ template must not be modified/replaced by the bidder and the same should be uploaded after filling the relevant columns, else the bidder is liable to be rejected for this tender. Bidders are allowed to enter the Bidder Name and Values only)

NUMBER #	TEXT #	TEXT #	NUMBER #	TEXT #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER	NUMBER #	NUMBER #	TEXT #
Sl. No.	Item Description	Item Code / Make	Quantity	Units	Estimated Rate in Rs. P	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST Amount (18%) in INR Rs. P	TOTAL AMOUNT Without Taxes col (13) = (4) x (7) in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes col (14) = sum (8) to (13) in	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	6	7	9	13	14	15
1	**Chowkidar (Unskilled)**									
1.01	Wages (Per Month)	item1	3.00	Nos	0.00		0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.02	EPF @ 13%	item2	1.00	Nos	0.00		0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.03	ESI @ 3.25 %	item3	1.00	Nos	0.00		0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
1.04	Service Charge	item4	1.00	Nos	0.00		0.00	0.00	0.00	INR Zero Only
Total in Figures								0.00	0.00	INR Zero Only
Quoted Rate in Words		INR Zero Only								